राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 748 / 2015 / भीलवाडा

मैसर्स चॉदमल चपलोत,
गुलाबपुरा, भीलवाडा। .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाडा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा,
कर सलाहकार ....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उपराजकीय अभिभाषक ......प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 01 / 08 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 136 / वैट / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत् आरोपित मांग राशि रूपये 6,291 / – को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष वर्ष 2012–13 के विवरण पत्र पेश किये गये। इस पर सशक्त अधिकारी ने वैट लगाकर कर राशि रूपये 20,970 / – का आरोपण कर कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.11.2014 पारित कर दिया। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कुल कर राशि में से ई.सी. फीस का कार्य पर मजदूरी राशि रूपये 6,291 / – को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित कर अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.03.2015 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि राज्य सरकार के नियमों द्वारा बिल्डिंग कार्य होने से वैट एक्ट में 30 प्रतिशत मजदूरी कम करने के पश्चात् ईसी फीस का आरोपण किया जा सकता है। आगे उन्होने

लगातार...............2

अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर कर सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संविदा का कार्य लेकर ठेका कार्य किया जाता है। इस बाबत् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल–मैटेरियल की खरीद कर उस माल को संविदा में लगा दिया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ई.सी. का विकल्प लिये जाने के पश्चात् उन्हें कर निर्धारण से संबंधित औपचारिकताओं से मुक्ति मिल जाती हैं, इस कारण अपीलार्थी द्वारा ई.सी. का विकल्प लिया गया, यह विकल्प अपीलार्थी द्वारा अपना स्वयं का स्वेच्छापूर्वक अपनाया गया विकल्प है, इसमें विभाग की और से कोई बाध्यकारी नहीं है। ई.सी. का अर्थ है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मजदूरी राशि में कटौती के समस्त अधिकार विभाग को समर्पित कर दिये। अपीलार्थी व्यवहारी ने स्वेच्छा से कर मुक्ति (ई.सी.) का विकल्प चुना है, जो कर मुक्ति शुल्क दिनांक 11.08.2006 की अधिसूचना के अनुसार सम्पूर्ण टर्नओवर पर देय है, अतः अपीलार्थी के कुल टर्नओवर में से मजदूरी राशि कम करने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

7. अपीलार्थी के अन्य बिन्दु ई.सी. कार्य में उपयोग माल पर चुकाये वैट–7 का सशक्त अधिकारी द्वारा समायोजन नहीं देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के पैरा संख्या 6 उल्लेखित किया जाना अवश्यक है, जिसके अनुसार–

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of section8 of the rajasthan value added tax act, 2003 (act number 3 of 2003), the state forvernment being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the tegistered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract subject to the following conditions, namely :-

(6.) That the contractor will not be entitled to claim the input tax credit in rspect of the goods used in the execution of the contract, for which the exemption certificate has been given.

अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संविदा कार्य करने में उपयोग में लिए गये माल का इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रृटि नहीं की है।

फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

1/8/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य